फर्द अहकाम

गोपालाल बनाम चनण

…ा /वर्ष 103/2020 : C.No. 2020/00327/20

…ांक आज्ञा कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
…/2/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य [illegible] व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 21/2/24 को पेश हो। 1	
…2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1, 10, 17, 21 की ओर से [illegible] पेश किया गया [illegible] की ओर से अब तक वकालतनामा पेश नहीं किया है ना ही उनकी ओर से कोई भी उपस्थित है उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 28/3/2024 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
…/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी साक्ष्य पेश नहीं करके अंतिम बहस अंतिम करना चाहते हैं प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी अधिवक्ता की बहस अंतिम सुनी गई। वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई [illegible] जाता है कि वादी के स्वत्व [illegible] प्रतिवादी बाधा उत्पन्न [illegible] पृथक से [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

वाद पत्र : 193/2020

निर्णय दिनांक : 28.03.2024

1. गोपाललाल पुत्र श्री छीतर
2. श्योजीराम पुत्र श्री छीतर

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम निमडी की ढाणी, गाविन्दपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र भोलूराम
2. राधेश्याम पुत्र भोलूराम
3. नारायण पुत्र भोलूराम
4. हनुमान पुत्र भोलूराम
5. श्रीमती गोपी पत्नी राधेश्याम
6. श्रमती कमली पत्नी नारायण
7. श्रीमती गुलाब पत्नी श्रवण
8. श्रीमती सन्ती पत्नी हनुमान
9. कैलाश पुत्र हरदेव
10. रामकिशन पुत्र हरदेव
11. श्रीमती मन्ना पत्नी कैलाश
12. श्रीमती ममता पत्नी रामकिशन
13. रामसहाय पुत्र भंवरलाल
14. मोहन पुत्र भंवरलाल
15. श्रीमती प्रेम पत्नी रामसहाय
16. श्रीमती कौशल्या पत्नी मोहन
17. लोकेश पुत्र रामसहाय
18. सुनील पुत्र मोहन
19. महेन्द्र पुत्र मोहन
20. श्रीमती कान्ता पत्नी सुरेश
21. जीतू पुत्र नारायण
22. अंजली पत्नी दिनेश
23. रमेश पुत्र श्रवण

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम निमडी की [illegible] न्दपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh

Date: 2024.09.06 13:15:03 IST

Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण की ओर से पेश दावा का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की जी कृषि भूमि खसरा न0 923 रकबा 0.25 है0, खसरा न० 924 रकबा 0.08 है०, रा न0 925 रकबा 0.44 है०, खसरा न० 930/1161 रकबा 0.04 है०, खसरा न0 रकबा 0.61 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.42 है० वाके ग्राम बम्बाला पटवार त श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है। जिस पर वादीगण अर्सेदराज काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का सम्बन्ध व सरोकार नही है। दिनांक 25/5/2020 को वादीगण अपनी भूमि मे ई कर रहे थे तो प्रतिवादीगण एकराय होकर मौके पर आये और वादीगण के साथ ी गलौच करने लगे तथा मारपीट पर उतारू हो गये तथा ट्रेक्टर के सामने आकर गये। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि यह हमारी स्वयं के की कृषि भूमि है इसमे आपने पहले भी कई उक्त भूमि मे हमारी फसल को नष्ट दिया तथा आपन फसलो को पानी नही देने दिया है। जबकि उक्त भूमि से आपका ई लेना देना नही है तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ फिर गांली गलौच व रपीट करने पर उतारू हो गये हल्ला सुनकर मौके पर गांव के मौजवीर व्यक्ति आने र उस समय तो प्रतिवादीगण मौके से चले गये परन्तु जाते जाते धमकी दी कि विष्य मे उक्त भूमि पर हम कब्जा करके रहेगे। प्रतिवादीगण के गैर कानूनी कृत्य से विवश होकर वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमि हुआ।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि:-

(क) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि हाल खसरा न0 923 रकबा 0.25 है०, खसरा न0 924 रकबा 0.08 है0, खसरा न0 925 रकबा 0.44 है०, खसरा न0 930/1161 रकबा 0.04 है0, खसरा न० 946 रकबा 0. 61 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.42 है० वाके ग्राम बम्बाला पटवार हल्का श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादीगण की मेड को नही तोडे तथा वादीगण के कृषि काश्त करते समय प्रतिवादीगण वादीगण के ट्रैक्टर के सामने बैठे कर जुताई करने मे बाधा उत्पन्न नही करे, तथा वादीगण की फसल मे वादीगण द्वारा पिलाई करने पर किसी प्रकार से अवरोध पैदा नही करे, वादीगण की फसलो को नष्ट नही करे तथा पेड पौधो का नही उखाडे तथा वादीगण के द्वारा फसल कटाई बुआई, निराई मे किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करे। ऐसा न ही स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने पर [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:03 IST
Reason: SelfAttested

बहस वादीगण अधिवक्ता की सुनी गई। दौरान [illegible] अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि हाल खसरा न0 923 रकबा 0.25 है०, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[illegible] खसरा नं. [illegible] रकबा [illegible] है., खसरा नं. [illegible]
[illegible] खसरा नं. [illegible] रकबा [illegible] है. कुल किता [illegible] कुल रकबा [illegible] है.
[illegible] ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला जयपुर में वादीगण की [illegible] वादीगण की कृषि भूमि [illegible] प्रतिवादीगण वादीगण के [illegible] में कोई [illegible] बाधा उत्पन्न नहीं करे, तथा वादीगण की [illegible] द्वारा [illegible] किसी प्रकार से [illegible] नहीं करे, [illegible] नहीं [illegible] नहीं [illegible] तथा वादीगण [illegible] किसी प्रकार का [illegible] नहीं करे। ऐसा [illegible] इत्यादि से [illegible] तथा वादीगण के [illegible] किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे।

[illegible] वादीगण [illegible] जिला [illegible] के [illegible] का [illegible] वादीगण [illegible] डिक्री [illegible] न्यायोचित [illegible] है।

अतः वादीगण का वाद [illegible] डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को [illegible] किया जाता है कि वादीगण की [illegible] जिला जयपुर के [illegible] खसरा नं. [illegible] रकबा [illegible] खसरा नं. [illegible] रकबा [illegible] है., खसरा नं. [illegible] रकबा [illegible] है., खसरा नं. [illegible] रकबा [illegible] है. कुल किता [illegible] कुल रकबा [illegible] है. के [illegible] किसी प्रकार का [illegible] नहीं करे एवं न ही [illegible] किसी प्रकार का अतिक्रमण आदि नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक [illegible].2024 को [illegible] सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
[illegible]
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:15:03 IST
Reason: SelfAttested